भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1989 का उत्तर

अंगमाली-सबरीमाला रेलवे लाइन का विस्तार

1989. एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एंटो एन्टोनी:
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंगमाली और एरुमेली के बीच सबराई रेलवे परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा भूमि अधिग्रहण एवं धन आवंटन सहित अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ख) क्या सरकार ने एरुमेली से विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तक तथा आगे दक्षिण में रन्नी और पठानपुरम होते हुए तिरुवनंतपुरम तक अंगमाली-सबरीमाला रेलवे लाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर की गई कार्रवाई/सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;
(ग) क्या केरल सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रस्तावित विस्तार के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन, सर्वेक्षण या लागत-लाभ विश्लेषण आयोजित किया गया है और यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों के परिणाम क्या हैं;
(ङ) क्या रेलवे ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नेदुमनगड सहित 50000 से अधिक आबादी वाले कस्बों को रेल संपर्क प्रदान करने के लिए सबरी रेलवे लाइन के विस्तार की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इस विस्तार के माध्यम से केरल के आंतरिक जिलों को रेल संपर्क प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, तथा यदि स्वीकृत किया जाता है तो परिकल्पित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): एरुमेली के रास्ते अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन परियोजना को वर्ष 1997-98 में स्वीकृति दी गई थी। अंगमालि-कालडि (7 कि.मी.) पर कार्य और कालडि-पेरुम्बवूर (10 कि.मी.)

पर अधिक समय तक चलने वाले कार्य शुरू कर दिए गए थे। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण और लाइन के संरेखण निर्धारण के विरुद्ध स्थानीय जनता के विरोध, परियोजना के विरूद्ध दायर अदालती मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त सहयोग के कारण इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तदनुसार, परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

अनुमान की स्वीकृति और परियोजना की लागत साझा करने की सम्मति के लिए एरुमेली के रास्ते अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन परियोजना की अनुमानित लागत अद्यतन करके 3,801 करोड़ रुपए किया गया था और इसे केरल सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था।

अगस्त, 2024 में, केरल सरकार ने अपनी सशर्त सहमति प्रदान की। रेलवे ने केरल सरकार से लागत में साझेदारी करने के लिए बिना शर्त सहमति देने का अनुरोध किया था।

तब रेल मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से परियोजना की लागत के उनके 50% हिस्से का उपयोग करके भूमि अधिगृहीत करने का अनुरोध किया। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू होने के पश्चात् ही कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।

अब, भारत सरकार के अनुरोध पर, केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है और अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन परियोजना का कार्य आगे बढ़ा है। रेल मंत्रालय केरल सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है।

पथानामथिट्टा और पुनलूर के रास्ते एरुमेली से तिरुवनंतपुरम नई लाइन (145 किमी) तक सर्वेक्षण किया गया था, बहरहाल, कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

इसके अलावा, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन को रेल संपर्क प्रदान करने के लिए, बलरामपुरम - विझिंजम पत्तन (11 किमी) से नई लाइन को गैर-सरकारी रेलवे मॉडल के तहत केरल सरकार की विशेष प्रयोज्य योजना विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड द्वारा शुरु किया गया है। बलरामपुरम तिरुवनंतपुरम-नागरकोविल खंड पर मौजूदा स्टेशन है।

नेदुमंगड के लिए रेल संपर्कता तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सेवित की जा रही है जो लगभग 18 कि.मी. दूर है।

रेल नेटवर्क के विस्तार/संवर्धन के लिए रेल परियोजना की स्वीकृति, जिसमें असंबद्ध शहरों और कस्बों के लिए संपर्कता शामिल है, जो निम्नलिखित मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती है:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

<u>केरल:-</u>

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अंगमालि-सबरीमाला परियोजना सहित केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित अवसंरचना परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
2025-26	3,042 करोड़ रुपए (8 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, केरल में पूर्णतः/अंशतः स्थित 266 किलोमीटर लंबी और ₹9,415 करोड़ लागत वाली 06 परियोजनाएँ (02 नई लाइन और 04 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	कमीशन की गई लंबाई	शेष लंबाई जिसे पूरा किया जाना है	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	02	146 किलोमीटर	0 किलोमीटर	146 किलोमीटर	309
दोहरीकरण/बहुपथन	04	120 किलोमीटर	26 किलोमीटर	94 किलोमीटर	2,941
कुल	06	266 किलोमीटर	26 किलोमीटर	240 किलोमीटर	3,250

रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली हाल ही में संपन्न की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	दिंडुक्कल-पोल्लाच्चि-पालघाट और पोल्लाच्चि-कोयम्बतूर आमान परिवर्तन (217 किलोमीटर)	1,360
2.	कोल्लम-तिरुनेलवेली-तिरूच्चेंदूर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर)	1,122
3.	मुलंतुरुत्ती-कुरूप्पनत्तरा दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	303
4.	चेंगन्नूर-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर)	436
5.	अम्बलप्पुष़ा-हरिप्पाड दोहरीकरण (18 किलोमीटर)	346
6.	कुरूप्पनतरा-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर)	749

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली शुरू की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	तिरुन्नावाया-गुरुवायूर नई लाइन (35 किलोमीटर)	138
2.	अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)	3,801
3.	एरणाकुलम-कुम्बलम दोहरी (8 किलोमीटर)	595
4.	कुम्बलम-तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 किलोमीटर)	803
5.	तिरुवनंतपुरम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 किलोमीटर)	3,786
6.	षोरणूर - वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	367

पिछले तीन वर्षों में (अर्थात् 2022-2023, 2023-2024, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26) केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले कुल 9 अदद सर्वेक्षण (3 नई लाइन और 6 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 1,124 किलोमीटर है, स्वीकृत किए गए हैं और सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

केरल में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	476 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	65 हेक्टेयर (14%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	411 हेक्टेयर (86%)

रेलवे ने केरल सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए 1,975 करोड़ रुपए जमा किए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)	416	24	392
2.	एरणाकुलम-कुम्बलम कहीं-कहीं दोहरीकरण (8 किलोमीटर)	4	3	1
3.	कुम्बलम-तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 किलोमीटर)	10	9	1
4.	षोरणूर - वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	5	0	5

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है, बहरहाल इसकी सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी साधनों का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

******